

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाका दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

सहायक सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

शम्भू राम बनाम भागवन्ती देवी आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए मुकदमा नं. 106/2018

निर्णय दिनांक :- 17.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी बादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री हरनेक सिंह पेश के पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91 राजस्व कलक्टर अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति खाला खे से खीकार किया जाकर चक 63 एफ जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 17/20 के मु.न. 7.33.34.3586/34 की कुल 6.251 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से शम्भू राम पुत्र सोनिया के नाम दर्ज 0.283 हैक्टर भूमि का, वादी शम्भू राम पुत्र चन्दूराम उर्फ शम्भू राम को खालेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। जयुक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.02.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर

मुददाई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प हददी	1450	00	मेहनताना वकली पर	00	--
	1454	00	योग	02	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/64

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर

दिनांक: 01/02/2022

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर